FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
दामोदर पुत्र नेनाराम जाति जाट निवासी भादुओं की ढाणी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर जरिये आम मुख्त्यार मनीष भाटी पुत्र श्री नरेश कुमार जाति घांची निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर (राजस्थान)		राजस्थान सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 37 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24-5-2022	वकील प्रार्थी ने पुलिस थाना खींवसर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–19/2022 अधीन धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन बोलेरो एस.सी पिकअप नम्बर आर.जे. 19/जी.बी.7005 को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन की नकल अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय नागौर को दिलाई गई। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित आगामी पेशी दिनांक 01.06.2022 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते है। पत्रावली दिनांक 01.06.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
01-6-22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल, अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) रसद विभाग उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत 457 सी.आर.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वाहन बोलेरो एस.सी. पीकअप रजि.नम्बर आर.जे. 19/जी.बी. 7005 का मनीष भाटी रजिस्टर्ड मालिक है। मनीष भाटी से प्रार्थी दामोदर ने दिनांक 17.01.2022 को उक्त वाहन 3,00,000/–रूपये में खरीद किया व 500/–रूपये का बेचाननामा तस्दीक व तकमील करवाया गया लेकिन उक्त वाहन दामोदर के नाम होने से पूर्व ही पुलिस थाना खींवसर द्वारा सीज कर लिया गया, जिस कारण आम मुख्त्यारनामा मनीष भाटी से अपने हक में निष्पादित करवाया जाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त सी.आर. न. 19/20[illegible] थाना खींवसर ने उक्त वाहन को जब्त कर रखा [illegible] जिसकी अब पुलिस थाना खींवसर वालों को आवश्यकता नहीं है। [illegible] थाने में पड़ा पड़ा क्षतिग्रस्त हो रहा है तथा प्रार्थी को [illegible] वाहन की हर वक्त आवश्यकता रहती है। दौरान [illegible] प्रार्थी उक्त वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं करेगा [illegible] ही इसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल ही करेगा न ही उक्त वाहन को किसी अन्य के यहां रहन या गिरवी रखेगा न्यायालय हाजा जब भी उक्त वाहन को तलब करेगी तो वह अपने खर्चे पर लाकर पेश कर देगा। उक्त वाहन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी सुपुर्दगीनामा व	PS खींवसर 3-6-22

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:53 IST
Reason: SelfAttested

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौजदारी प्रार्थनापत्र -37/2022
दामोदर बनाम राज. सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01/6/22 (लगातार)		

जमानतनामा पेश करने को तैयार होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्रार्थी को उक्त वाहन बोलेरो एस.सी. पीकअप रजि. नम्बर आर.जे.19 / जी.बी.7005 को सुपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि वाहन बोलेरो पीकअप संख्या आर.जे.19जी.बी.7005 रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस थाना खींवसर की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर की रिपोर्ट दिनांक–01.06.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन बोलेरो पीकअप संख्या आर.जे.19जी.बी.7005 में एक टैंक बना हुआ है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा है, जिसका थाना परिसर में खाली करवाने हेतु जगह का अभाव होना बताया है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पीकअप संख्या आर.जे.19जी.बी.7005 पर लगभग 2900 लीटर क्षमता का एक टैंकर बना हुआ है। जिसके अन्दर 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से भरा हुआ है। उक्त वाहन की केबिन में एक डिस्पैसिंग यूनिट लगा हुआ पाया गया जो टैंक से आने वाले एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया। डिस्पेसिंग यूनिट पर टैंक से बाहर निकाले जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा दर्शाने वाला एक इलेक्ट्रोनिक डिजीटल मीटर व एक नोजल लगा हुआ पाया गया है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पीकअप संख्या आर.जे.19जी.बी.7005, पेट्रोलियम पदार्थ आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–48 / 2022 सरकार बनाम दामोदर वगैरह, न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सीआरपी खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर की रिपोर्ट दिनांक–01.06.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन बोलेरो पीकअप संख्या आर.जे.19जी.बी. 7005 में एक टैंक बना हुआ है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा है, जिसका थाना परिसर में खाली करवाने हेतु जगह का अभाव होना बताया है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पीकअप संख्या आर. जे.19जी.बी.7005 पर लगभग 2900 लीटर क्षमता का एक टैंकर बना हुआ है। जिसके अन्दर 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से भरा हुआ है। उक्त वाहन की केबिन में एक डिस्पैसिंग यूनिट लगा हुआ पाया गया जो टैंक से आने वाले एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया। डिस्पेसिंग यूनिट पर टैंक से बाहर निकाले जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा दर्शाने वाला एक इलेक्ट्रोनिक डिजीटल मीटर व एक नोजल लगा हुआ पाया गया है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन बोलेरो पीकअप संख्या आर.जे.19जी.बी.7005, [illegible] वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने [illegible] संख्या–48 / 2022 सरकार ब[illegible] में विचाराधीन होने से उक्त [illegible] की जमान[illegible] एवं सुपर्दगीनामा पर छोड़ा जाना [illegible] प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा [illegible] किया जाता है। आदेश सुनाया। पुलिस केश डायरी संबंधित [illegible] लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर यह पत्रावली रसद मामला संख्या 48 / 2022 के साथ नत्थी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:53 IST
Reason: SelfAttested

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर,नागौर

REDMI NOTE 6 PRO